

आदेश पत्रक

केश का प्रकार - दाखिल खारीज

अभिलेख संख्या - 109/2016-17

21/5/18

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिपणी तारीख सहित
------------------------------	--------------------------------	---

12/5/16

श्री राजेश शर्मा पिता स्व. आ. ट. शर्मा  
 ग्राम जादी किरावा अंचल देवरी जिला  
 गिरिडीह द्वारा निम्नांकित ब्यौरे की जमीन का दाखिल खारीज हेतु  
 आवेदन पत्र दिया है। आवेदित जमीन श्री राजेश सोनर, किनोट सोनर  
 पिता स्व. किरावा सोनर, अ. म. ल. सोनर ग्राम जादी किरावा  
 अंचल देवरी से बजरिये केवाला संख्या 2115  
 दिनांक 10.05.2011 के द्वारा क्रय किया गया है।

ग्राम	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा
जादी किरावा	238	41	468	0657

पंजी 27 में दर्ज कर आम इस्तेहार निर्गत करें। इसी बीच हल्का कर्मचारी से आवेदन पत्र पर स्थानीय जाँच कर जाँच प्रतिवेदन की मांग अंचल निरीक्षक के माध्यम से करें।

अभिलेख दिनांक 3/6/16 को उपस्थापित करें।

*Handwritten note:* तत्कालीन डी. व. अ. म. ल. सोनर द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र पर म. ल. सोनर के काल पूर्व से पंजी 27 में दर्ज आबिलेखों का प्रतिवेदन निर्यापित हेतु उपस्थापित करें।

*(Signature)*  
अंचल अधिकारी,  
देवरी।

*(Signature)*  
अंचल अधिकारी,  
देवरी।

2/6/16  
30/5/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया। इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा आपति नहीं दिया गया है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के साथ प्राप्त है उन्होंने प्रतिवेदित किया किया है कि आवेदित जमीन गैरमजरुआ खास/ रैयती/ बकास्त/ खाते की है जिसकी जमाबंदी पंजी II के भेलूम संख्या P के पृष्ठ संख्या 71 पर विक्रेता के नाम जमाबंदी दर्ज है। जमीन भूहदबंदी भूदान वनसीमा एंव सैरात से बाहर है जमीन पर क्रेता का शान्तिपूर्ण दखल है आवेदित भूमि का नामान्तरण हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतएव हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एंव अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि का नामान्तरण क्रेता श्री/श्री मति जगदीश शर्मा पिता/पति स्व० गानु शर्मा ग्राम जगदी, किराणे के नाम ... किया जाता है।

ग्राम	थाना न०	प्लॉट न०	रकबा	माल
जगदी, किराणा	238	468	06570	10 पैसा

सम्बन्धित सहायक तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें।

लेखापित एंव संसोधित

अंचल अधिकारी,  
देवरी।

अंचल अधिकारी,  
देवरी।

शुद्धिपत्र निर्गत किया गया। हल्का कर्मचारी एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

अंचल अधिकारी,  
देवरी।